पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मे0न0 306/2025

1. दिलावर सिंह पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी खिनानिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. कौशल्या पत्नी लालचन्द
2. मीरा पुत्री लालचन्द

जाति जाट निवासीयान खिनानियां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

डिक्री　　　　दिनांक 14/7/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री सुभाष गर्ग व प्रतिवादी वकील करनैलसिंह अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है चकनं0 19 के. एन. एन के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खातासं0 45/46 में कुल 14.240 है0 मे से प्रतिवादीया सं0 1 का 1423/56960 हिस्सा तथा प्रतिवादीया स0 2 का 3859/56960 हिस्सा की आराजी का वादी खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक 19 के एन एन के खता स0 45/46 में प्रतिवादीया स0 1 व 2 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एंव जमाबंदी में गै0मु0 रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 14/7/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी

Scanned with CamScanner